कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-24.11.2024

विषयः- थाना शिवपुर मे पंजीकृत विभिन्न मुकदमों मे वांछित अभियुक्त सिध्दार्थ कुमार उर्फ साहिल उर्फ विलेन को थाना शिवपुर पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त वाराणसी के अपराधों की रोकथाम एवं वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान् पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के निर्देशन मे, श्रीमान् अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के पर्यवेक्षण मे, श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त कैन्ट के नेतृत्व में थाना शिवपुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर 1- मु0अ0सं0 392/2024 धारा 115(2),352,109(1) बी0एन0एस0, 2- मु0अ0सं0 489/2024 धारा 333,109,324(4) बी0एन0एस0 व 3- मु0अ0सं0 0547/2024 धारा 108,115(2),351(2),352 बी0एन0एस0 थाना शिवपुर कमि0 वाराणसी से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त सिध्दार्थ कुमार उर्फ साहिल उर्फ विलेन पुत्र विजय कुमार निवासी 65/3 नया मा0 काशीराम आवास थाना शिवपुर कमिश्नरेट वाराणसी को आज दिनांक-24.11.2024 को समय करीब 12.10 बजे मा0 काशीराम आवास के पास वरूणा नदी के किनारे जंगल के पास से गिरफ्तार किया गया। उक्त के सम्बन्ध में थाना शिवपुर पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण-

1- दिनांक 06.09.2024 को वादी मुकदमा ने दिनांक-05.09.2024 को शाम करीब 5.30 बजे पुरानी बातों को लेकर प्रतिवादीगण द्वारा गाली-गलौज करते हुए वादी/प्रार्थी के भाई को ईट-पत्थर से सिर पर मारकर बेहोश कर देने के सम्बन्ध में लिखित प्रार्थना पत्र दिया, जिसके आधार पर थाना शिवपुर मे मु0अ0सं0-0392/2024 धारा 115(2)/352/110 बीएनएस पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना उ0नि0 राहुल कुमार सिंह द्वारा संपादित की जा रही है। मुकदमा उपरोक्त में विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान धारा 110 बी0एन0एस0 को धारा 109(1) बी0एन0एस0 में तरमीम किया गया।

2- दिनांक 18.10.2024 को वादिनी मुकदमा ने लिखित प्रार्थना पत्र दिया कि उनका पुत्र अपने दोस्त व पुराने परिचित के साथ काशीराम आवास में एक कमरे पर रह रहा था, दिनांक-17.10.2024 को रात लगभग 10.30 बजे तीन अज्ञात व्यक्ति मुँह बाधे हुए घर का दरवाजा खटखटाये और दरवाजा खोलने के उपरान्त पूछने पर ट्यूशन की बात करते हुए तुरन्त मार-पीट करने लगे जिससे उनका पुत्र बेहोश हो गया और बेहोश होने के पश्चात भी वे लोग हमला करते रहे और मृत समझकर छोड़कर भाग गये, जिसके उपरांत एबुलेंस बुलाकर पं0 दीन दयाल उपाध्याय हास्पिटल में भर्ती करवाया गया व डाक्टर के अनुसार के वादिनी मुकदमा के पुत्र के सिर में 60-70 टाँके लगे हैं, जिसके आधार पर थाना शिवपुर में मु0अ0सं0-489/2024 धारा 333/109/324(4) बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना उ0नि0 पवन जायसवाल द्वारा संपादित की जा रही है।

3- दिनांक-21.11.2024 को वादी मुकदमा/प्रार्थी ने लिखित प्रार्थना पत्र दिया कि दिनांक-20.11.24 को समय करीब रात्रि 09 बजे जयराम नगर कालोनी गिलट बाजार थाना शिवपुर जनपद वाराणसी के पास 03 व्यक्ति रवि,विलेन तथा मंगू

ईट-पत्थर लेकर गाली-गलौज देते हुए सिर पर मारे है, जिससे वादी मुकदमा/प्रार्थी के सिर पर गंभीर चोट आयी है और वादी मुकदमा/प्रार्थी मरणासन्न अवस्था में आ गया तथा उन लोगों के द्वारा जान से मारने कि धमकी भी दी गयी है, जिसके आधार पर थाना शिवपुर में मु0अ0सं0 0547/2024 धारा 110,115(2),351(2),352 बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना उ0नि0 ध्रुव नारायण लाल द्वारा संपादित की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण- सिध्दार्थ कुमार उर्फ साहिल उर्फ विलेन पुत्र विजय कुमार निवासी 65/3 नया मा0 काशीराम आवास थाना शिवपुर कमिश्नरेट वाराणसी, उम्र करीब 21 वर्ष।

गिरफ्तारी दिनांक, समय व स्थान- दिनांक-24.11.2024 को समय करीब 12.10 बजे, मा0 काशीराम आवास के पास वरूणा नदी के किनारे जंगल के पास से।

आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0 0401/2023 धारा 279,323,504,506 भा0द0वि0 थाना शिवपुर वाराणसी।
2- मु0अ0सं0 0069/2024 धारा 147,323,427,504,506 भा0द0वि0 थाना शिवपुर वाराणसी।
3- मु0अ0सं0 0392/2024 धारा 109(1),115(2),352 बी0एन0एस0 थाना शिवपुर वाराणसी।
4- मु0अ0सं0 0489/2024 धारा 333,109,324(4) बी0एन0एस0 थाना शिवपुर वाराणसी।
5- मु0अ0सं0 0547/2024 धारा 108,115(2),351(2),352 बी0एन0एस0 थाना शिवपुर वाराणसी।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 राहुल कुमार सिंह, उ0नि0 गौरव सिंह, हे0का0 अरविन्द सरोज व का0 मनोज कुमार सिंह थाना शिवपुर कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।